Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Service Appeal No.- 76/2023

Ram Pravesh Rishi ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	14.11.2023	**आदेश** प्रस्तुत सेवा अपील वाद जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक–657/सा0 दिनांक–01.04.2023 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी पूर्णिया जिला के डगरूआ थाना अंतर्गत वर्ष 2018 से सर्किल सं0–18/04 में चौकीदार के पद पर कार्यरत थे। नरपतगंज (अररिया) थाना कांड सं0–477/20 दिनांक–19.10.2020 द्वारा धारा–30(A)/38(1), 42, 47 बिहार मद्यनिषेध संशोधित अधिनियम–2018 के तहत जब्त ट्रक सं0–NL01AE-1615 के चालक दीप नारायण हाजरा जिला–मोतिहारी द्वारा स्वीकार किया गया कि कमाल नामक व्यक्ति ने दालकोला में उनके ट्रक पर दिनांक–18.10.2020 को शराब लोड करवाया। डगरूआ थाना के अंतर्गत पंजाबी ढ़ाबा के पास दो वर्दीधारी तथा दो सिविल ड्रेस में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा ट्रक रोककर रखा गया था। वर्दीधारी में एक गौतम नाम से पुकारा जा रहा था। कुछ देर बाद विक्की यादव नाम का व्यक्ति रानीपतरा से आये और मैनेज हो जाने की बात बताते हुए ट्रक ले जाने को कहा। इस प्रकरण में मद्यनिषेध इकाई, पटना के पुलिस उपाधीक्षक एवं पु0अ0नि0 अजय कुमार द्वारा विस्तृत जाँच प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मद्यनिषेध, पटना को समर्पित किया गया। पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध), बिहार, पटना के पत्रांक–728 दिनांक–29.06.2021 द्वारा तत्कालीन थाना अध्यक्ष एवं अपीलार्थी सहित कुल–05 पुलिसकर्मियों के विरूद्ध संदेह के आधार पर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का आदेश दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी–सह–संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपीलार्थी ने उक्त घटना की जानकारी नहीं होने की बात कही। नरपतगंज थाना कांड सं0–477/20 के आलोक में अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का कोई औचित्य नहीं है। सी0सी0टी0वी0 फुटेज के आधार पर इनके पहचान बताया जाना गलत है। जबकि ये थाना कार्य में तैनात थे। सिपाही गौतम को हड़बड़ाकर थाना से बाहर जाते देखकर ये भी बाहर गये, तब तक सभी लोग	

Web Copy Not Official.

		स्कॉर्पियो से कहीं निकल गये। तब ये कुछ सामान लेने डगरूआ बैरियर चले गये। वापस आने पर पु0अ0नि0 विष्णुकांत द्वारा शराब से लदे ट्रक को पकड़कर क्रमशः	
	लगातार 14.11.2023	रखा गया था जिसका नं0–UP16F-9993 था। शराब का कार्टून थाना में रखा जा रहा था जिसमें इनकी कोई भूमिका नहीं है। ट्रक के कर्मी अनिकेत कुमार जिला–अरवल को गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना कांड सं0–182/20 दर्ज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को अन्य पुलिसकर्मियों के साथ जप्तप्रदर्श को लेकर न्यायालय के लिए प्रस्थान किया गया। न्यायालय के रास्ते में पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया का कार्यालय पड़ता है तो संभवतः इनके एवं सिपाही गौतम कुमार के मोबाईल का लोकेशन मिला होगा किन्तु उसमें समय अंकित नहीं है। न्यायालय कार्य संपन्न कर रात्रि 08:30 बजे वापस थाना आये जिसकी पुष्टि थाना दैनिकी सनहा सं0–499 एवं 508 से होती है। संचालन पदाधिकारी द्वारा संदेह के आधार पर प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। इनसे द्वितीय स्पष्टीकरण की माँग की गई और इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा मनमाने ढ़ंग से बर्खास्त (Dismissed) कर दिया गया। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। उक्त पूरे प्रकरण में अपीलार्थी की कोई भूमिका नहीं है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय ले जाने के क्रम में इनका मोबाईल का टावर लोकेशन पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पास का पाया जाना स्वभाविक है। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य पर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। विभागीय कार्यवाही में किसी साक्षी का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण उपलब्ध कराया गया है। संदेह के आधार पर इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाना उचित नहीं है। दंडादेश ज्ञापांक–657 में इनकी नियुक्ति तिथि–18.08.2018 दर्ज है जो गलत है। जबकि इनके पहचान पत्र में नियुक्ति तिथि–14.08.2018 दर्ज है। जिला पदाधिकारी द्वारा मनमाने ढ़ंग से आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ जिला पदाधिकारी ने पत्रांक–1609 दिनांक–01.08.2023 द्वारा मंतव्य समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रस्तुत अपील तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपीलार्थी द्वारा स्वयं को निर्दोष साबित करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी अवैध कृत्य के लिए दोषी पाये गये हैं। विभागीय कार्यवाही विधिवत् संचालित की गई है और संचालन पदाधिकारी द्वारा नैसर्गिक न्याय सिद्धांत का अनुपालन करते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपित दंड सही है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने योग्य बताया है।	

Web Copy, Not Official.

		उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विधिवत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है, जिसमें संचालन पदाधिकारी क्रमशः	
	लगातार 14.11.2023	द्वारा आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा में संचालन पदाधिकारी के समक्ष उठाये गये तथ्यों को ही दुहराया गया है। इस न्यायालय के समक्ष भी उनके द्वारा अपने बचाव में कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे निम्न न्यायालय आदेश खंडित हो सके। अपीलार्थी का उक्त कृत्य सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल पाया गया है। अतः उपर्युक्त के आलोक में समाहर्त्ता–सह–जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा पारित दंडादेश ज्ञापांक–657 दिनांक–01.04.2023 को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित पाते हुए संपुष्ट किया जाता है। अपील आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.